

झारखण्ड सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्रांक - प0नि0वि0/06-योजना-63/2025 -4905(3)

दिनांक-23/12/2025

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0),

झारखण्ड,

हिनू, राँची।

विषय:-

पथ प्रमंडल, बोकारो अन्तर्गत "बरमसिया-हुटूपाथर-आद्राकुड़ी-मिर्धा (NH-32) पथ के IRQP कार्य (कुल लं0-15.41 कि0मी0)" हेतु कुल राशि रू0 8,62,30,200/- (आठ करोड़ बासठ लाख तीस हजार दो सौ रुपये) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:-

उपर्युक्त कार्य के लिए कुल राशि रू0 8,62,30,200/- (आठ करोड़ बासठ लाख तीस हजार दो सौ रुपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्तावित पथ NH-218 से होते हुए NH-32 तक जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त पथ का मजबूतीकरण/ पुनर्निर्माण कार्य कराया गया था। विगत 07 वर्षों से उक्त पथ में कोई भी कार्य नहीं कराया गया है। उक्त पथ में हल्के एवं भारी वाहनों का अत्यधिक आवागमन होने के कारण पथ का सतह तथा Riding Quality खराब हो गया है एवं पथ crust क्षतिग्रस्त हो गया है। प्राक्कलन में 50 mm DBM, 30 mm BC एवं कुछ पथांशों में WMM कार्य प्रावधानित है। साथ ही सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से Clearing & Grubbing, Sign Boards, Delineator, Road marking एवं Road Studs का कार्य भी प्रावधानित है। वर्तमान में पथ की स्थिति जर्जर है। अतएव यातायात के सुगम संचालन हेतु उक्त पथ के IRQP कार्य कराया जाएगा।
3. इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के माँग संख्या-41-राज्य स्कीम/मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय/उप मुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग/लघु शीर्ष-337-सड़क निर्माण कार्य/उप शीर्ष-01-वृहद सड़कें/विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बोकारो होंगे तथा इस राशि की निकासी कोषागार, बोकारो से की जायेगी।
5. इस कार्य को निम्न वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगा:-

वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
2025-26	रू0 517.3812 लाख	60%
2025-26	रू0 344.9208 लाख	40%
6. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगे।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।
8. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।
9. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

26/12/25

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

दिनांक- 23/12/2025

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (याता0) पथ निर्माण विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इस स्वीकृति में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राशि का प्रावधान सम्मिलित नहीं है।
3. इस स्वीकृति में आकस्मिकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अधियाचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।
4. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

R/urmu
23/12/2025

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

दिनांक-23/12/25

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ / सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची / आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / उपायुक्त, बोकारो / संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव (प्र०) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अन्वेषण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता, मु०, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / सहायक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, प्रशाखा-12, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/12/2025

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

दिनांक- 23/12/25

प्रतिलिपि :- प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Room
23/12/2025

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

दिनांक- 23/12/2023

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई-मेल (E-mail) से भेजने एवं ई-प्रोक्वोरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को वेबसाइट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।

Rymer
2-2-12/2025

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।